अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 46 - DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	105939,07,00	105939,11,00	103724,48,46	-2214,62,54
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2172,30,19
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3612,29,00	3612,30,00	2398,36,46	-1213,93,54
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1199,04,16

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	24104.00	21531.16	21524.46	-6.70
पु.	R.	-2572.84			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	O.	538400.00	564000.00	564597.64	+597.64
पु.	R.	25600.00			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	4378391.00	4639873.05	4636724.01	-3149.04
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	261481.05			
मुख्य शीर्ष "2211"	Major Head "2211"				
परिवार कल्याण	Family Welfare				
मू.	O.	587863.00	564144.34	562470.12	-1674.22
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-23719.66			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	748775.00				
पू.	S.	1.00		..	..	..
पु.	R.	-748776.00				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"					
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	4149476.00				
पू.	S.	1.00		4434010.83	4433945.12	-65.71
पु.	R.	284533.83				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"					
विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	162878.00		149243.84	149309.52	+65.68
पु.	R.	-13634.16				

(I) ₹758611.02 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) इक्यावन शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹757347.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹758611.02 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024) remained wholly unutilized under fifty one heads; of these ₹757347.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2210” – “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन” – ₹797.00 लाख वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।

(A) Major Head “2210” - “Medical Education, Training and Research - Special Component Plan for Scheduled Castes - Human Resources for Health and Medical Education”- ₹797.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” –

(क) “परिवार कल्याण – निदेशन एवं प्रशासन” –

(i) “क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय” – ₹598.00 लाख;

(ii) “बुनियादी ढांचे का रखरखाव” – ₹21485.00 लाख;

(ख) “परिवार कल्याण – प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन” – ₹227654.00 लाख;

(ग) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – सीजीएचएस– औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना” – ₹6000.00 लाख;

(घ) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी” –

(i) “इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग” – ₹50000.00 लाख;

(ii) “क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल” – ₹61900.00 लाख;

(iii) “लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान

(B) Major Head “2552” -

(a) “Family Welfare-Direction and Administration” -

(i) “Regional Health Offices” - ₹598.00 lakhs;

(ii) “Infrastructure Maintenance” - ₹21485.00 lakhs;

(b) “FW - Reproductive and Child Health Programme - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening National Health Programme and Urban Health Mission” - ₹227654.00 lakhs;

(c) “Urban Health Services - Allopathy - CGHS - Setting up of Dispensaries and Hospitals” - ₹6000.00 lakhs;

(d) “Medical Education, Training and Research Allopathy” -

(i) “North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong” - ₹50000.00 lakhs;

(ii) “Regional Institute of Medical Sciences, Imphal” - ₹61900.00 lakhs;

(iii) “Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health

(एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर" – ₹6000.00 लाख;

(iv) "क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान (आरआईपीएएनएस), आइजोल" – ₹13000.00 लाख;

(v) "स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹13960.00 लाख;

(vi) "नए एम्स का स्थापना व्यय" – ₹9500.00 लाख;

(ङ.) "सार्वजनिक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹27296.00 लाख;

(ii) "राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹633.00 लाख;

(iii) "प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन" – ₹32000.00 लाख;

(iv) "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम"– ₹700.00 लाख;

(च) "लोक स्वास्थ्य – अन्य व्यय – आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹48150.00 लाख;

(छ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(i) "बुनियादी ढांचे का रखरखाव" – ₹6055.00 लाख;

(ii) "आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली

(LGBRIMH), Tejpur - ₹6000.00 lakhs;

(iv) "Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl"-₹13000.00 lakhs;

(v) "Human Resources for Health & Medical Education" - ₹13960.00 lakhs;

(vi) "Establishment Expenditure of New AIIMS" - ₹9500.00 lakhs;

(e) "Public Health - Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National AIDS Control Programme"-₹27296.00 lakhs;

(ii) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - ₹633.00 lakhs;

(iii) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - ₹32000.00 lakhs;

(iv) "National Tele Mental Health Programme" - ₹700.00 lakhs;

(f) "Public Health - Other Expenditure - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹48150.00 lakhs;

(g) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Infrastructure Maintenance" - ₹6055.00 lakhs;

(ii) "Flexible Pool for RCH & Health

सुदृढ़ीकरण के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹59080.00 लाख;

(iii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी" – ₹2166.00 लाख;

(iv) "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹14660.00 लाख;

(ज) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹40798.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "बुनियादी ढांचे का रखरखाव" – ₹11060.00 लाख;

(iii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी" – ₹1122.00 लाख;

(iv) "आयुष्मान भारत –प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹10190.00 लाख; और

(झ) "आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण– प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को अंतरण हेतु निधियां" – ₹84048.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चौबीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए

System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission"- ₹59080.00 lakhs;

(iii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹2166.00 lakhs;

(iv) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹14660.00 lakhs;

(h) "Tribal Area Sub - Plan" -

(i) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission"- ₹40798.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "Infrastructure Maintenance" - ₹11060.00 lakhs;

(iii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹1122.00 lakhs;

(iv) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹10190.00 lakhs; and

(i) "Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" - ₹84048.00 lakhs.

Provisions under the above twenty four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern

जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ"–

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹6353.00 लाख संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से पर्याप्त एवं व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण।

(a) "Central Assistance/Share - Human Resources for Health & Medical Education"- ₹6353.00 lakhs - due to non-receipt of adequate and viable proposals from UT Governments and availability of unspent balances.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– स्वास्थ्य एवं परिवार चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹1411.00 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और अव्ययित एसएनए शेष राशि उपलब्ध होने के कारण।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Human Resource for Health & Family Medical Education" - ₹1411.00 lakhs - due to receipt of less proposals from implementing agencies/UT Governments and availability of unspent SNA balances.

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वास्थ्य एवं परिवार चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹731.00 लाख वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Human Resource for Health & Family Medical Education" - ₹731.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के अंतर्गत ₹2574.54 लाख की बचत (₹24099.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कम घरेलू दौरे, कम कार्यालय उपकरणों और बाह्य उपकरणों की खरीद, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का संचालन, कम रखरखाव संबंधी कार्य, कम पेशेवरों को काम पर रखने और अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Health and Family Welfare"- saving of ₹2574.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24099.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, less domestic tours, procurement of less office equipments & peripherals, conduction of less training programmes and workshops, less maintenance related works, hiring of less professionals and availability of unspent balances.

(III) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(III) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ – एलोपैथी" –

(A) "Urban Health Services - Allopathy" -

(क) "निदेशन एवं प्रशासन – स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय" – ₹3251.72 लाख की बचत (₹10100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम संविदा कर्मचारियों की भर्ती, कम कार्यालय उपकरण और बाह्य उपकरणों की खरीद, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति, घरेलू दौरे और कम रखरखाव संबंधी कार्यों के कारण हुई।

(ख) "चिकित्सा भंडार डिपो" –

(i) "डिपो" – ₹806.47 लाख की बचत (₹5692.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम संविदा कर्मचारियों की भर्ती, कम कार्यालय उपकरण और बाह्य उपकरणों की खरीद, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कम घरेलू दौरे, कम रखरखाव संबंधी कार्य और आपूर्ति और सामग्री बिलों जमा करने में देरी के कारण हुई।

(ii) "भारत और विदेश में सामग्रियों की खरीद"– ₹3711.55 लाख की बचत (₹39000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिलों की गतिशील प्रकृति के कारण टीकों की खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "अस्पताल और औषधालय" –

(i) "डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹8268.46 लाख की बचत (₹83400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति, कम कार्यालय उपकरण और बाह्य उपकरणों की खरीद, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कम घरेलू दौरे, कम रखरखाव संबंधी कार्य और आपूर्ति और सामग्री बिल जमा करने में देरी के

(a) "Direction and Administration - Directorate General of Health Services" - saving of ₹3251.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10100.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less contractual staff, procurement of less office equipment and peripherals, receipt of less medical claims, domestic tours and less maintenance related works.

(b) "Medical Stores Depots" -

(i) "Depots" - saving of ₹806.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5692.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less contractual staff, procurement of less office equipment and peripherals, receipt of less medical claims, less domestic tours, less maintenance related works and delay in submission of supply and material bills.

(ii) "Purchase of Materials in India and abroad" - saving of ₹3711.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39000.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement process of vaccines owing to dynamic nature of bills.

(c) "Hospital and Dispensaries" -

(i) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - saving of ₹8268.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹83400.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less contractual staff, procurement of less office equipment and peripherals, receipt of less medical claims, less domestic tours, less maintenance

कारण हुई।

related works and delay in submission of supply and material bill.

(ii) "अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई" – ₹1250.63 लाख की बचत (₹4110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम घरेलू दौरे करने, चिकित्सा दावों को प्रस्तुत न करने, कम कार्यालय उपकरण और बाह्य उपकरणों की खरीद, कम पेशेवरों की भर्ती और कम सिविल और बिजली कार्यों के कारण हुई।

(ii) "All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai"- saving of ₹1250.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4110.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less domestic tours undertaken, non-submission of medical claims, procurement of less office equipment and peripherals, hiring of less professionals and less civil and electric works.

(iii) "कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली" – ₹2465.86 लाख की बचत (₹17206.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, पत्रिकाओं/ई–पुस्तकों/प्रिंट पुस्तकों का मुद्रण न करने, रखरखाव संबंधी कार्यों में कमी और कम संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण हुई।

(iii) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" - saving of ₹2465.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17206.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-printing of journals/e-books/print books, less maintenance related works and hiring of less contractual staff.

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(क) "एलोपैथी" –

(a) "Allopathy" -

(i) "कैंसर अनुसंधान" – ₹2767.51 लाख की बचत (₹12110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कम विज्ञापन व्यय के कारण हुई।

(i) "Cancer Research" - saving of ₹2767.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12110.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State/UT Governments and less advertisement expenses.

(ii) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹4929.94 लाख की बचत (₹64900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कम कार्यालय उपकरण और बाह्य उपकरणों

(ii) "Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi" - saving of ₹4929.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹64900.00 lakhs) was due to non-filing up of vacant posts, receipt of less

की खरीद, पत्रिकाओं/ई–पुस्तकों/प्रिंट पुस्तकों का मुद्रण न होने, कम रखरखाव संबंधी कार्य, कम संविदा कर्मचारियों की भर्ती, कम सिविल और विद्युत कार्य और जेम पर दिए गए आर्डर का पूरा न होने के कारण हुई।

(iii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलोर को अनुदान" – ₹7000.00 लाख की बचत (₹85000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iv) "अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान, मैसूर को अनुदान" – ₹4453.60 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(v) "क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुदुचेरी" – ₹8803.91 लाख की बचत (₹144000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(vi) "सेवाग्राम स्थित कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा को अनुदान" – ₹606.03 लाख की बचत (₹11897.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(vii) "डॉ. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई

medical claims, procurement of less office equipment and peripherals, non-printing of journals/e-books/print books, less maintenance related works, hiring of less contractual staff, less civil and electric works and non-materialisation of orders placed at GeM.

(iii) "Grants to National Institute of Mental Health and Neuro-Science, Bangalore" - saving of ₹7000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹85000.00 lakhs);

(iv) "Grants to All India Institute of Speech & Hearing, Mysore" - saving of ₹4453.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs); and

(v) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry" - saving of ₹8803.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹144000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(vi) "Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram" - saving of ₹606.03 lakhs (against sanctioned provision of ₹11897.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from States/UTs.

(vii) "Dr. Ram Manohar Lohia PG Institute of Medical Education and Research,

दिल्ली" – ₹1586.97 लाख की बचत (₹21783.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(viii) "राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग" – ₹1925.32 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कम कार्यालय उपकरणों, आपूर्ति और सामग्रियों की खरीद, कम बैठकें और कार्यशालाएं, कम पेशेवरों की भर्ती और कम रखरखाव संबंधी कार्यों के कारण हुई।

(ix) "स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹4289.00 लाख की बचत (₹4789.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने की वजह से किश्तों की दूसरी ट्रेंच जारी न किए जाने के कारण हुई।

(x) "हिंदी में मौलिक पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कार प्रदान करना" – ₹807.69 लाख की बचत (₹967.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुरस्कार राशि के वितरण हेतु वर्ष के दौरान पुरस्कार विजेताओं के नाम तय न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण – प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से सहायता" – ₹2561.00 लाख की बचत (₹4799.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

New Delhi" - savings of ₹1586.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21783.00 lakhs); and

(viii) "National Commission for Allied & Health Care Professions" - saving of ₹1925.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, procurement of less office equipments, supplies and materials, less meetings and workshops, hiring of less professionals and less maintenance related works.

(ix) "Human Resource for Health & Medical Education" - saving of ₹4289.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4789.00 lakhs) was due to non-release of second trench of installments owing to non-receipt of utilisation certificate from UT of Ladakh and A&N Islands.

(x) "Award of Prizes to Authors of Original Books in Hindi" - saving of ₹807.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹967.00 lakhs) was due to non-finalisation of awardees during the year for distribution of award money.

(b) "Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Support from Pradhan Mantri Swasthya Surkasha Nidhi (PMSSN)" - saving of ₹2561.00 lakhs (against the santioned provision of ₹4799.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) “सार्वजनिक स्वास्थ्य” –

(क) “निदेशन एवं प्रशासन” –

(i) “विमानपत्तन संगठन सहित बंदरगाह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान” – ₹1378.40 लाख की बचत (₹6444.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा और घरेलू दौरे के दावों की प्राप्ति न होने, कम कार्यालय उपकरणों और बाह्य उपकरणों की खरीद और कम संविदा कर्मचारियों की भर्ती के कारण हुई।

(ii) “आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन” – ₹14545.76 लाख की बचत (₹262847.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दवाओं की खरीद और आपूर्ति के कारण हुई।

(ख) “प्रशिक्षण – केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू” – ₹635.66 लाख की बचत (₹2445.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा और घरेलू दौरे के दावों की प्राप्ति न होने, कम कार्यालय उपकरणों और बाह्य उपकरणों की खरीद और कम संविदा कर्मचारियों की भर्ती के कारण हुई।

(ग) “रोगों की रोकथाम और नियंत्रण” –

(i) “राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र), दिल्ली” – ₹2135.92 लाख की बचत (₹9600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा और घरेलू दौरे के दावों की प्राप्ति, कम सिविल, बिजली और रखरखाव

(C) “Public Health” -

(a) “Direction and Administration”-

(i) “Port Health Establishment including Airport Organisation” - saving of ₹1378.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6444.00 lakhs) was due to non-filing up of vacant posts, non-receipt of medical and domestic tours claims, procurement of less office equipments and peripherals and hiring of less contractual staff.

(ii) “Flexible Pool for RCH and Health System Strengthening National Health Programme and Urban Health Mission” - saving of ₹14545.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹262847.00 lakhs) was due to procurement of less drugs and supplies.

(b) “Training - Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu” - saving of ₹635.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2445.00 lakhs) was due to non-filing up of vacant posts, non-receipt of medical and domestic tours claims, procurement of less office equipments and peripherals and hiring of less contractual staff.

(c) “Prevention and Control of diseases” -

(i) “National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Disease Control), Delhi” - saving of ₹2135.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9600.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts,

संबंधी कार्यों, कम पेशेवरों की भर्ती और कार्यकारी प्राधिकारियों से अनुमोदन में देरी के कारण हुई।

receipt of less medical and domestic tour claims, less civil, electric and maintenance related works, hiring of less professional and delay in approval from executing authorities.

(ii) "राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम" – ₹1778.67 लाख की बचत (₹8890.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम पेशेवरों की भर्ती और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पर्याप्त और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "National Drugs De-addiction Programme" - saving of ₹1778.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8890.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-filling up of vacant posts, hiring of less professionals and non-receipt of adequate and viable proposals from States/UTs.

(iii) "बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय"– ₹764.50 लाख की बचत (₹1564.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से पर्याप्त और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(iii) "Expenditure in UTs without Legislature" - saving of ₹764.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1564.50 lakhs) was due to non-receipt of adequate and viable proposals from UT Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(iv) "एनसीडीसी शाखाओं और स्वास्थ्य पहलों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण – जूनोटिक रोगों और अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की तैयारी और नियंत्रण के लिए अंतर–क्षेत्रीय समन्वय, वायरल हेपेटाइटिस, एंटी–माइक्रोबियल प्रतिरोध की निगरानी" – ₹2777.05 लाख की बचत (₹5200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए कम दावों की प्राप्ति, कम बैठक और कार्यशालाओं का आयोजन, कम पेशेवरों की भर्ती, कम रखरखाव संबंधी कार्य,

(iv) "Establishment and strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives-Inter Sectoral Co-ordination for preparation and control of Zoonotic Diseases and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti-Microbial Resistance" - saving of ₹2777.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5200.00 lakhs) was due to receipt of less claims for

आपूर्ति और सामग्री की कम खरीद और कम सिविल और बिजली के कार्यों के कारण हुई।

(v) "प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन" – ₹11871.50 लाख की बचत (₹30061.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए कम दावों की प्राप्ति, कम बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन, कम पेशेवरों की भर्ती, कम रखरखाव संबंधी कार्य, आपूर्ति और सामग्री और डिजिटल उपकरणों की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(vi) "राष्ट्रीय टेली मेन्टल कार्यक्रम"– ₹4127.48 लाख की बचत (₹8300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(vii) "कोविड–19 प्रतिक्रिया तंत्र 2021 (ईएपी) के तहत वैश्विक निधि अनुदान" – ₹1461.15 लाख की बचत (₹1512.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनआईएचएफडब्ल्यू के माध्यम से नियोजित प्रशिक्षण गतिविधियों को हाइब्रिड टीएसए व्यवस्था में स्थानांतरित करने में देरी के कारण हुई।

(viii) "राष्ट्रीय आरोग्य निधि" – ₹794.34 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

advertisement & publicity, conduction of less meeting and workshops, hiring of less professionals, less maintenance related works, less procurement of supply and material and less civil and electic works.

(v) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)"- saving of ₹11871.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30061.00 lakhs) was due to receipt of less claims for advertisement & publicity, conduction of less meeting and workshops, hiring of less professionals, less maintenance related works, less procurement of supply and material and digital equipments, non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from States/UTs.

(vi) "National Tele Mental Programme" - saving of ₹4127.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8300.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from implementing agencies.

(vii) "Global Fund Grant under Covid-19 Response Mechanism 2021(EAP)" - saving of ₹1461.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1512.00 lakhs) was due to delay in transition of training activities planned through NIHFW to Hybrid TSA mechanism.

(viii) "Rashtriya Arogya Nidhi" - saving of ₹794.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.

(ix) "राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम" – ₹788.59 लाख की बचत (₹1433.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए कम दावों की प्राप्ति, कम बैठक और कार्यशालाओं का आयोजन, कम पेशेवरों की भर्ती, कम रखरखाव संबंधी कार्य, आपूर्ति और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

(x) "आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास" – ₹3078.32 लाख की बचत (₹3345.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय नोडल एजेंसी के माध्यम से एनईएल कौशल केंद्रों के बुनियादी ढांचे और खरीद गतिविधियों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निधियां जारी करने पर प्रतिबंध और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(xi) "रक्त आधान सेवा" – ₹10861.84 लाख की बचत (₹18500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना सीएएन से टीएसए हाइब्रिड मॉडल 1ए में स्थानांतरण की प्रक्रियाधीन होने की वजह से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(घ) "खाद्य मिलावट की रोकथाम – भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण" – ₹10336.32 लाख की बचत (₹62000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खाद्य परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहले जारी की गई धनराशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की वजह से और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित

(ix) "National Organ Transplant Programme" - saving of ₹788.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1433.00 lakhs) was due to receipt of less claims of advertisement & publicity, conduction of less meeting & workshops, hiring of less professionals, less maintenance related works and less procurement of supply and material.

(x) "Human Resources Development for Emergency Medical Services" - saving of ₹3078.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3345.00 lakhs) was due to restriction on release of funds to Government Medical Colleges for infrastructure and procurement activities of NEL Skill Centers through Central Nodal Agency (CNA) and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(xi) "Blood Transfusion Service" - saving of ₹10861.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18500.00 lakhs) was due to non-release of grants to States/UTs owing to scheme being in process of migration from CNA to TSA Hybrid Model 1A.

(d) "Prevention of food adulteration - Food Safety and Standard Authority of India" - saving of ₹10336.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62000.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to non-submission of utilisation certificates of previously released funds by States/UTs under MoU for Strengthening of Food

अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ड.) "ड्रग्स नियंत्रण – केंद्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन" – ₹1105.92 लाख की बचत (₹18994.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, वेतन, भत्ते, घरेलू यात्रा, प्रशिक्षण के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग और ज्यादा राशि वाले चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को मंजूरी न मिलने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(च) "सीरा / वैक्सीन का निर्माण" –

(i) "भारतीय पाश्तेर संस्थान, कुन्नूर को अनुदान" – ₹2125.00 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और संस्थान के पास अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

(ii) "बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई" – ₹1010.03 लाख की बचत (₹3400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(छ) "लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं – केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली" – ₹1337.57 लाख की बचत (₹6161.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा और घरेलू दौरे के दावों की प्राप्ति, कार्यालय उपकरणों और बाह्य उपकरणों की कम खरीद, कम बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन, विक्रेताओं द्वारा रबर की आपूर्ति न करने, पशु घर के रखरखाव के अनुमोदन में देरी

Testing Ecosystem and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) "Drug Control - Central Drugs Standards Control Organisation"- saving of ₹1105.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18994.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-filling up of vacant posts, less utilisation of funds under salary, allowances, domestic travel, training and non-approval of high value medical reimbursement claims.

(f) "Manufacture of Sera/Vaccine" -

(i) "Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor"- saving of ₹2125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less proposals from States/UTs and availability of unspent balances with the institute.

(ii) "B.C.G.Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" - saving of ₹1010.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3400.00 lakhs); and

(g) "Public Health Laboratories - Central Research Institute, Kasauli" - saving of ₹1337.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6161.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claim and domestic tour claims, less procurement of office equipments and peripherals, conduction of less meeting and workshops, non-

और कम पेशेवरों की भर्ती के कारण हुई।

supply of rubber by vendors, delay in approval for maintenance of animal house and hiring of less professionals.

(ज) "सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा" –

(i) "अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता" – ₹584.32 लाख की बचत (₹5750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम घरेलू दौरे करने, कार्यालय उपकरणों और बाह्य उपकरणों की कम खरीद, रखरखाव संबंधी कम कार्य और कम पेशेवरों की भर्ती के कारण हुई।

(ii) "बाल देखभाल प्रशिक्षण केंद्र, सिंगूर" – ₹675.11 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "सामान्य" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना– राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹7043.99 लाख की बचत (₹108565.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा एवं घरेलू दौरे के दावों की प्राप्ति, कार्यालय उपकरणों एवं बाह्य उपकरणों की कम खरीद तथा पर्याप्त एवं व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए अनुदान"– ₹677.34 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम बैठकों और कार्यशालाओं के आयोजन, कम पेशेवरों की भर्ती, कम रखरखाव संबंधी कार्यों और राज्यों/संघ

(h) "Public Health Education" -

(i) "All India Institute of Hygiene And Public Health, Kolkata" - saving of ₹584.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5750.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less domestic tours undertaken, less procurement of office equipment and peripherals, less maintenance related works and hiring of less professionals.

(ii) "Child Care Training Centre, Singur" - saving of ₹675.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs); and

(D) "General" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - saving of ₹7043.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹108565.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical and domestic tour claims, less procurement of office equipment and peripherals and non-receipt of adequate and viable proposals.

(b) "Inernational Cooperation - Grants for International Conferences on Medical and Public Health" - saving of ₹677.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to conduction of less meeting and workshops, hiring of less

राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

professionals, less maintenance related works and receipt of less proposals from States/UTs.

(III) मुख्य शीर्ष "2211" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(III) Under Major Head "2211" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(A) "Direction and Administration"-

(क) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" – ₹723.57 लाख की बचत (₹4843.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा और घरेलू दौरे के दावों की प्राप्ति, कार्यालय उपकरणों और बाह्य उपकरणों की कम खरीद, कम रखरखाव संबंधी कार्य, कम पेशेवरों की भर्ती और पर्याप्त और व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(a) "Regional Health Offices" - saving of ₹723.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4843.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical and domestic tour claims, less procurement of office equipment and peripherals, less maintenance related works, hiring of less professionals and non-receipt of adequate and viable proposals.

(ख) "राष्ट्रीय एनआरएचएम प्रबंधन सुदृढ़करण कार्यक्रम"– ₹1028.49 लाख की बचत (₹21700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा एवं घरेलू दौरे के दावों की प्राप्ति, कार्यालय उपकरणों एवं बाह्य उपकरणों की कम खरीद, कम बैठकें एवं कार्यशालाएं, कम पेशेवरों की नियुक्ति तथा पर्याप्त एवं व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(b) "Stengthening National Programme Management of the NRHM" - saving of ₹1028.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21700.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical and domestic tour claims, less procurement of office equipment and peripherals, less meeting and workshops, hiring of less professionals and non-receipt of adequate and viable proposals.

(ग) "अवसंरचना रखरखाव – बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र" – ₹1789.96 लाख की बचत (₹3902.98 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा एवं घरेलू दौरे के दावों की प्राप्ति, कार्यालय उपकरणों एवं बाह्य उपकरणों की कम खरीद, कम बैठकें एवं कार्यशालाएं, कम पेशेवरों की नियुक्ति, पर्याप्त एवं व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और गृह मंत्रालय के हित में जारी एल ओ ए का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(c) "Infrastructure Maintenance - UTs w/o Legislature" - saving of ₹1789.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3902.98 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical and domestic tour claims, less procurement of office equipment and peripherals, less meeting and workshops, hiring of less professionals, non-receipt of adequate and viable proposals and non-utilisation of LOA issued in favour of MHA.

(घ) "आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹4212.88 लाख की बचत (₹430000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैक्सीन वैन और कोल्ड चेन उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(d) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - saving of ₹4212.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹430000.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposal for procurement of Vaccine Van and Cold Chain Equipments.

(ङ) "पीएम–अभीम राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम"– ₹6205.14 लाख की बचत (₹6666.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(e) "National Programme Management of the PM-ABHIM" - saving of ₹6205.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6666.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from State/UT Goverments.

(खा) "प्रशिक्षण" –

(B) "Training" -

(क) "अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई" – ₹1035.00 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कार्यालय उपकरण, आपूर्ति और सामग्रियों की कम खरीद, कम बैठक और कार्यशालाओं का आयोजन, कम पेशेवरों की भर्ती और रखरखाव संबंधी कम कार्यों के कारण हुई।

(a) "International Institute for Population Sciences, Mumbai" - saving of ₹1035.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, less procurement of office equipment, supplies and materials, conduction of less meeting and workshops, hiring of less professionals and less maintenance related works.

(ख) "ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़" – ₹2283.80 लाख की बचत (₹6090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टीकों, कार्यालय उपकरणों और बाह्य उपकरणों की कम खरीद, कम बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन, कम रखरखाव संबंधी कार्यों और उप–केंद्रों के किराए और 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Rural Health Training Centre, Najafgarh" - saving of ₹2283.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6090.00 lakhs) was due to less procurement of vaccines, office equipments and peripherals, conduction of less meetings and workshops, less maintenance related works and requirement of less funds towards rent of sub-centres and 100 bedded hospitals.

(गा) "अनुसंधान और मूल्यांकन" –

(C) "Research and Evaluation" -

(क) "जनसांख्यिकी एवं अन्य संचार अनुसंधान" –

(a) Demographic and Other Communication

₹1454.30 लाख की बचत (₹3565.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "स्वास्थ्य सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन" – ₹4523.21 लाख की बचत (₹9003.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घा) "जन शिक्षा – स्वस्थ नागरिक अभियान" – ₹874.96 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3846.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में जारी एलओए के उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹32299.00 लाख की बचत (₹69494.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त और व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) "राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण"– ₹856.56 लाख की बचत (₹3655.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/योजनाएं" – ₹7118.91 लाख की बचत (₹10971.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

Research" - saving of ₹1454.30 lakhs (against the sanction provision of ₹3565.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from implementing agencies.

(b) "Health Surveys and Research Studies" - saving of ₹4523.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9003.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) "Mass Education - Swastha Nagrik Abhiyan" - saving of ₹874.96 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3846.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024) was due to non-utilisation of LOA issued in favour of Ministry of Information and Broadcasting.

(IV) Under Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Human Resources for Health and Medical Education" - saving of ₹32299.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹69494.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate and viable proposals from State Governments.

(b) Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹856.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3655.00 lakhs); and

(c) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹7118.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10971.00 lakhs).

बचत उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त एवं व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने के कारण हुई।

(घ) "प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम–एबीएचआईएम)" – ₹24240.28 लाख की बचत (₹41722.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय उपकरणों की कम खरीद और राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(खा) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान – प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम–अभीम)" – ₹12645.81 लाख की बचत (₹148537.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग आधारित होने की वजह से राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(क) "स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹13465.62 लाख की बचत (₹17287.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ख) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/योजनाएँ" – ₹1060.39 लाख की बचत (₹1802.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन" – ₹17363.35 लाख की बचत (₹49587.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचत उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकार से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-submission of adequate and viable proposals from State Governments.

(d) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹24240.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41722.00 lakhs) was due to less procurement of office equipment and non-receipt of viable proposals from State Governments.

(B) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹12645.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹148537.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments, scheme being demand driven.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹13465.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17287.00 lakhs) ;

(b) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹1060.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1802.00 lakhs); and

(c) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹17363.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49587.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of viable proposals from State Government and availability of unspent balances.

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹6272.60 लाख की बचत (₹8956.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/योजनाएँ" – ₹678.76 लाख की बचत (₹943.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन" – ₹10242.29 लाख की बचत (₹25792.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत, राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा अप्रयुक्त एसएनए शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

(ङ.) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों में अंतरण – प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को अंतरण हेतु निधियां" – ₹12351.54 लाख की बचत (₹739526.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन" – ₹5110.00 लाख की बचत (₹10200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन" – ₹1927.00 लाख की बचत (₹2411.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹6272.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8956.00 lakhs);

(b) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹678.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹943.00 lakhs); and

(c) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹10242.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25792.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of viable proposals from State Governments and availability of unspent SNA balances.

(E) "Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Saraksha Nidhi (PMSSN)" - saving of ₹12351.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹739526.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Major Head "3602"- "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹5110.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10200.00 lakhs); and

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹1927.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2411.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत, संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से पर्याप्त एवं व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

(VI) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹2714.39 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹581621.98 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:—

(का) मुख्य शीर्ष “2210” —

(क) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान — एलोपैथी — नए एम्स की स्थापना पर व्यय” — ₹108657.89 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹108657.90 लाख था।

(ख) “सामान्य” —

(i) “आयुष्मान भारत—प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना — राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण” — ₹43666.30 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹42461.95 लाख था।

(ii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना—आयुष्मान भारत—प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना — राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण” — ₹5961.37 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5961.38 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” — “केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ” —

(क) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा” —

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate and viable proposals from UT Governments and availability of unspent balances.

(VI) Under eight heads savings of ₹2714.39 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 18 percent to 51 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹581621.98 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹3.00 lakhs in December, 2024 under the following major heads:-

(A) Major Head “2210” -

(a) “Medical Education, Training and Research - Allopathy - Establishment Expenditure of New AIIMS” - ₹108657.89 lakhs. Actual excess, however, was ₹108657.90 lakhs.

(b) “General” -

(i) “Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority (PMSSN)” - ₹43666.30 lakhs. Actual excess, however, was ₹42461.95 lakhs.

(ii) “Tribal Area Sub-Plan - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority” - ₹5961.37 lakhs. Actual excess, however, was ₹5961.38 lakhs.

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(a) “Central Assistance/Share” -

(i) "आरसीएच एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹276038.42 लाख।

(ii) "अवसंरचना रख–रखाव" – ₹17151.25 लाख।

(iii) "अवसंरचना रख–रखाव" – ₹5982.75 लाख।

(ख) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान–आरसीएच एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹958.54 लाख।

(ग) "अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना" –

(i) "परिवार कल्याण – अवसंरचना रख–रखाव" – ₹6055.00 लाख।

(ii) "आरसीएच एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹66558.58 लाख।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "परिवार कल्याण – अवसंरचना रख–रखाव" – ₹11059.99 लाख।

(ii) "आरसीएच एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीला पूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹39531.89 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹39466.20 लाख था।

(II) बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिप्रतिसंतुलित हो गई:–

(i) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹276038.42 lakhs.

(ii) "Infrastructure Maintenance" - ₹17151.25 lakhs.

(iii) "Infrastructure Maintenance (PMSSN)" - ₹5982.75 lakhs.

(b) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹958.54 lakhs.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "FW-Infrastructure Maintenance" - ₹6055.00 lakhs.

(ii) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹66558.58 lakhs.

(d) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "FW - Infrastructure Maintenance" - ₹11059.99 lakhs.

(ii) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹39531.89 lakhs. Actual excess, however, was ₹39466.20 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल – सीजीएचएस पेंशनभोगियों का चिकित्सा उपचार – केंद्र सरकार के पेंशनभोगी" – ₹26197.64 लाख का अधिक व्यय (₹538400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (एचसीओ) की लंबित देनदारियों और पेंशनभोगियों के चिकित्सा दावों के निपटान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ – एलोपैथी" –

(i) "निदेशन एवं प्रशासन – राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय" – ₹743.09 लाख का अधिक व्यय (₹3875.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने तथा विनिमय दर में बदलाव को समायोजित किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना" – ₹1152.19 लाख का अधिक व्यय (₹206847.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों के पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(iii) "अस्पताल और औषधालय – सफदरजंग अस्पताल" – ₹2820.27 लाख का अधिक व्यय (₹170485.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा पत्रिकाओं के मुद्रण, संविदा कर्मचारियों/आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, चिकित्सा दावों को प्रस्तुत करने, रखरखाव संबंधी कार्यों और आपूर्ति और सामग्री से संबंधित बिलों को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने

(A) Major Head "2071" - "Civil - Medical Treatment of CGHS Pensioners - Central Government Pensioners" - excess of ₹26197.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹538400.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities of Health Care Organisations (HCOs) and medical claims of the pensioners.

(B) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy" -

(i) "Direction and Administration - National Medical Library" - excess of ₹743.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3875.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards printing and publication of international journals and adjustment against exchange rate variation.

(ii) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/ Hospitals"- excess of ₹1152.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹206847.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" on functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(iii) Hospital and Dispensaries - Safdarjung Hospital" - excess of ₹2820.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹170485.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards printing of medical journals, hiring of contractual staff/outsourced staff, submission of medical claims, maintenance related works and

के कारण हुआ।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" –

(i) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान" – ₹38632.56 लाख का अधिक व्यय (₹452300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए भर्ती स्टाफ के लिए सहायता अनुदान, वर्तमान स्टाफ को एमएसीपी देने और मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन के कारण हुआ।

(ii) "स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान" – ₹2500.00 लाख का अधिक व्यय (₹220000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तंत्रिका विज्ञान केंद्र, संगरूर, एडवांस मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर, ऊना और सैटेलाइट सेंटर, फिरोजपुर की चल रही परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" – ₹765.60 लाख का अधिक व्यय (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना की निष्पादन एजेंसियों को परामर्श शुल्क के भुगतान के लिए पेशेवर सेवाओं के अंतर्गत अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iv) "इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग को अनुदान"– ₹47361.08 लाख का अधिक व्यय (शून्य

submission of bills relating to supply and material.

(b) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(i) "All India Institute of Medical Sciences" - excess of ₹38632.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹452300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Grants-in-aid salary for newly recruited staff, award of MACP to existing eligible staff and creation of capital assets for procurement of machinery and equipment.

(ii) "Grants to Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh" - excess of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹220000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards ongoing project of Neurosciences Centre, Sangrur, Advance Mother and Child Care Centres, Una and Satellite Centres, Firozpur.

(iii) "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - excess of ₹765.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to requirement of more funds under professional services for payment towards consultancy fee to the executing agencies of the project.

(iv) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" -

प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(v) "क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल" – ₹63229.93 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(vi) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान" – ₹4969.73 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(vii) "क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल" – ₹10060.52 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुई।

(viii) "राष्ट्रीय क्षय रोग एवं श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली" – ₹1962.00 लाख का अधिक व्यय (₹14538.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं भत्ते, अधिक चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कार्यालय उपकरणों, आपूर्ति एवं सामग्रियों की खरीद, पेशेवरों की भर्ती और रखरखाव संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) "सार्वजनिक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय एड्स एवं यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹2501.00 लाख का अधिक व्यय (₹241950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर

excess of ₹47361.08 lakhs (against nil provision) ;

(v) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - excess of ₹63229.93 lakhs (against nil provision);

(vi) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH)" - excess of ₹4969.73 lakhs (against nil provision) ; and

(vii) "Regional Inst. of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" - excess of ₹10060.52 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(viii) "National Institute of Tuberculosis and Respiratory Disease, New Delhi"- excess of ₹1962.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14538.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary and allowances, receipt of more medical claims, procurement of office equipments, supplies and materials, hiring of professionals and maintenance related works.

(c) "Public Health - Prevention and Control diseases" -

(i) "National AIDS & STD Control Programme" - excess of ₹2501.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹241950.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from

उपयोग के लिए निधियों के पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" – ₹812.20 लाख का अधिक व्यय (₹4013.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा दावों के निपटान, कार्यालय उपकरणों, आपूर्ति और सामग्रियों की खरीद, पेशेवरों की भर्ती और रखरखाव संबंधी कार्यों के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन" – ₹1257.50 लाख का अधिक व्यय (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रबंधन सेवा अनुप्रयोग प्रदाता (एमएसएपी) के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने तथा एबीडीएम को ज्यादा अपनाने के कारण क्लाउड के अधिक उपयोग किए जाने के कारण हुआ।

(iv) "राष्ट्रीय आघात एवं जलन रोकथाम एवं प्रबंधन कार्यक्रम (एनपीपीएमटीएंडबीआई)" – ₹700.90 लाख का अधिक व्यय (₹334.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नव निर्मित उत्कृष्टता केंद्रों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(v) "ई–स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन सेवा कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण" – ₹888.51 लाख का अधिक व्यय (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई–संजीवनी योजना, ई–अस्पताल एप्लिकेशन, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना विज्ञान से संबंधित गतिविधियों और राष्ट्रीय चिकित्सा कालेज नेटवर्क के तहत

Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "National Programme for Health Care for the Elderly"- excess of ₹812.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4013.00 lakh) was due to requirement of more funds towards clearance of medical claims, procurement of office equipments, supplies and materials, hiring of professionals and maintenance related works.

(iii) "Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)" - excess of ₹1257.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to carry over of milestones from the previous financial year under the Managing Service Application Provider (MSAP) and higher cloud usage driven by the higher adoption of ABDM.

(iv) "National Programme for Prevention and Management of Trauma & Burn Injury (NPPMT&BI)"- excess of ₹700.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹334.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards newly established Centres for Excellence.

(v) "Programme for Strengthening of E-Health and Telemedicine Services (PSETS)" - excess of ₹888.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to requirement of additional funds toward payments for eSanjeevani

रखरखाव चरण के लिए उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र, मोहाली, समाविष्ट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र और शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घ) "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण – प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) से सहायता" – ₹67046.65 लाख का अधिक व्यय (₹638900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/योजना" – ₹1896.27 लाख का अधिक व्यय (₹1024.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शेर–ए–कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹307.86 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 328 प्रतिशत है।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

scheme, eHospital application, Central Health Informatics (CHI) related activities and maintenance phase under National Medical College Network (NMCN) to Central for Development of Advance Computing Mohali, (C-DAC) Mohali, National Informatics Centre Services Incorporates (NICSI), Central Health Informatics (CHI), National Institute of Health and Family Welfare (NIHFW) and Education and Research Network (ERNET).

(d) "General - Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Support from PMSSN" - excess of ₹67046.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹638900.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Tertiary Care Programme/Scheme" - excess of ₹1896.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1024.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards proposals received from Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences (SKIMS)

(III) Under one head excess of ₹307.86 lakhs occurred constituting 328 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	351049.00			
पू.	S.	1.00	238869.25	237442.94	-1426.31
पु.	R.	-112180.75			
मुख्य शीर्ष "4211"	Major Head "4211"				
परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Family Welfare				
मू.	O.	1207.00			
			388.59	323.29	-65.30
पु.	R.	-818.41			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2900.00			
			1327.47	1329.70	+2.23
पु.	R.	-1572.53			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5027.00			
			..	..	..
पु.	R.	-5027.00			

(I) नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹17438.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹15821.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "4210" – "सार्वजनिक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम – कोविड–19 प्रतिक्रिया तंत्र 2021 के तहत वैश्विक निधि अनुदान" – ₹10821.00.00 लाख मोटर वाहन, मशीनरी और उपकरण की खरीद न करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" – "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)" – ₹5000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं" –

(क) "केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना" – ₹837.86 लाख की बचत (₹3269.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, व्यय की धीमी प्रगति होने और मशीनरी और उपकरणों, आईटी वस्तुओं और फर्नीचर की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अस्पताल और औषधालय" –

(i) "डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹17793.10 लाख की बचत (₹52600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, व्यय की धीमी प्रगति होने और मशीनरी और उपकरणों, आईटी वस्तुओं और फर्नीचर

(I) Provision of ₹17438.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹15821.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4210" - "Public Health - Other Programmes - Global Fund Grant under COVID-19 Response Mechanism 2021" - ₹10821.00 lakhs - due to non-procurement of motor vehicles, machinery and equipment and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) Major Head "4552" - "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - ₹5000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services"-

(a) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - saving of ₹837.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3269.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, slow pace of expenditure and less procurement of machinery and equipment, ICT items and furniture.

(b) "Hospitals and Dispensaries" -

(i) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - saving of ₹17793.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52600.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, slow pace of expenditure

की कम खरीद किए जाने और सीपीडब्ल्यूडी के हित में एलएओ का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची" – ₹1867.25 लाख की बचत (₹2105.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) "अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई" – ₹665.66 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹691.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" –

(क) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचिता कृपलानी अस्पताल" – ₹6604.36 लाख की बचत (₹9500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "डॉ. आरएमएलपीजी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान), नई दिल्ली" – ₹2031.37 लाख की बचत (₹3217.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, व्यय की धीमी प्रगति तथा मशीनरी और उपकरण, आईसीटी मदों और फर्नीचर की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ग) "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)" – ₹47713.11 लाख की बचत (₹209000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की

and less procurement of machinery and equipment, ICT items and furniture and non-utiliation of LOA in favour of CPWD.

(ii) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - saving of ₹1867.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2105.00 lakhs);

(iii) "All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai" - saving of ₹665.66 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹691.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024);

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(a) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital" - saving of ₹6604.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9500.00 lakhs);

(b) "Dr. R.M.L.P.G. Institute of Medical Education and Research (Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences), New Delhi" - saving of ₹2031.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3217.00 lakhs);

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, slow pace of expenditure and less procurement of machinery and equipment, ICT items and furniture.

(c) "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - saving of ₹47713.11 lakhs (against the total sanctioned provision of

तुलना में) परियोजनाओं की अनुपलब्धता और उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

₹209000.00 lakhs) was due to non-availability of projects and less procurement of equipments.

(गा) "सार्वजनिक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम" –

(C) "Public Health - Other Programmes" -

(क) "केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन" – ₹1095.67 लाख की बचत (₹2006.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(a) "Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of ₹1095.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2006.00 lakhs); and

(ख) "प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन" – ₹17123.85 लाख की बचत (₹27587.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹17123.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27587.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, व्यय की धीमी प्रगति तथा मशीनरी और उपकरण, आईसीटी मदों और फर्नीचर की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, slow pace of expenditure and less procurement of machinery and equipment, ICT items and furniture.

(ग) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और कार्रवाई" – ₹4433.00 लाख की बचत (₹4883.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति और मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद किए जाने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "Health Sector Disaster Preparedness and Response" - saving of ₹4433.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4883.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure and less procurement of machinery and equipment.

(घ) "डब्ल्यूएचओ–सीरो भवन, नई दिल्ली का पुनर्निर्माण"– ₹1460.60 लाख की बचत (₹7723.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने और भवन एवं संरचना के लिए व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(d) "Reconstruction of WHO-SERO Building, New Delhi" - saving of ₹1460.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7723.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and slow pace of expenditure towards Building and Structure.

(III) मुख्य शीर्ष "4211" – "अन्य व्यय – राष्ट्रीय लोक स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, मुंबई" के अंतर्गत

(III) Under Major Head "4211" - "Other Expenditure - National Institute of Public Health

₹501.30 लाख की बचत (₹765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती, व्यय की धीमी प्रगति और फर्नीचर की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “4216” – “सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली” के अंतर्गत ₹885.81 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने, व्यय की धीमी प्रगति और मशीनरी एवं उपकरण, आईसीटी मदों और फर्नीचर की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(V) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹2336.33 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थी।

4. उपर्युक्त बचत मुख्य शीर्ष “4210” – “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अस्पताल और औषधालय – सफदरजंग अस्पताल” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो हुई – ₹2144.37 लाख का अधिक व्यय (₹11515.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एक एक्स–रे स्टिमुलेटर की खरीद के लिए एचएचएल इनफ्रा टेक सर्विसिज को अग्रिम भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

5. ***प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन):–***

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, वित्त लेखा 2018 की धारा 2(13) में आयकर पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिवालय के दिनांक 12/03/2021 के कैबिनेट निर्णय संख्या 11/सीएम/2021(i) के तहत लोक लेखा में एकल

Training & Research, (NIPHTR) Mumbai" - saving of ₹501.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹765.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, slow pace of expenditure and less procurement of furniture.

(IV) Under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - Other Housing - Safdarjung Hospital, New Delhi” - saving of ₹885.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, slow pace of expenditure and less procurement of machinery and equipment, ICT items and furniture.

(V) Under seven heads savings of ₹2336.33 lakhs occurred, each exceeding 250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 29 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head “4210” - “Urban Health Services - Hospitals & Dispensaries - Safdarjung Hospital” - excess of ₹2144.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11515.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards advance payment to HLL Infra Tech Services Limited for procurement of one X-Ray stimulator.

5. ***Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN):-***

To fulfill the commitment of Government to provide and finance quality health services and universalized quality basic education and Secondary and Higher Education, Section 2 (13) of Finance Account 2018 provide for levying of Health and Education Cess on income tax at the rate of 4 percent. The Central Government constituted the 'Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi' as a single non-

गैर–व्यपगत निधि के रूप में 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि' का गठन किया।

स्वास्थ्य (पीएमएसएसएन) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि का वितरण कुल राशि का 25% है (जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के 4% में से 1% के समतुल्य है)। स्वास्थ्य उपकर से प्राप्त राशि से मंत्रालय द्वारा चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों का वित्तपोषण किया जाएगा और तदनुसार, इन योजनाओं के अंतर्गत डीडीजी में उपयुक्त प्रावधान किए जाएँगे।

स्वास्थ्य उपकर का हिस्सा लोक लेखा के बिना ब्याज वाले भाग के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित हिस्सा स्थानांतरित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) का वर्ष 2024–25 के लिए लेखा–जोखा इस प्रकार था:–

lapsable fund in the Public Account vide Cabinet decision No. 11/CM/2021(i) dated 12/03/2021 of Cabinet Secretariat.

The distribution of proceeds from Health and Education Cess under Health (PMSSN) is 25% of total proceeds (equivalent to 1% out of 4% of Health & Education Cess). The proceeds from Health Cess will finance the schemes/programmes identified by the Ministry and accordingly suitable provisions will be made in the DDG under the schemes.

The share of Health Cess will be routed through non-interest bearing section of Public Account into which the portion relating to Ministry of Health and Family Welfare will be transferred.

Account of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	4500,00,00
प्राप्तियां	Receipt	14438,54,12
अदायगियां	Payments	13621,24,75
अंत शेष	Closing Balance	5317,29,37